/

हेमंता कुमार बनाम।

आर. महादेवैया और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 4108) 11 जुलाई, 2022

/

**[**न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XXIII,आर. 3-सहमति डिक्री-अनुदान-मूल वादी ने बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया-विचारण न्यायालय के वादी और प्रतिवादियों द्वारा Or.XXXIII के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत करने से पहले,आर. 3 और सहमति डिक्री पारित करने का अनुरोध किया क्योंकि पक्षों ने विवाद का निपटारा कर दिया है-निचली अदालत ने मामले को लोक अदालत में भेज दिया-लोक अदालत ने सहमति डिक्री पारित की-प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी के आधार पर सहमति डिक्री को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने सहमति डिक्री को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वादी के वकील ने मामले को समझौते के लिए लोक अदालत को संदर्भित करते हुए डिक्री प्राप्त करने में निचली अदालत को गुमराह किया था-वादी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी-आयोजितःकेवल इसलिए कि निचली विचारण न्यायालय ने मामले को लोक विचारण न्यायालय को भेजा है जो अकेले सहमति आदेश की वास्तविकता पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है-कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है-उच्च न्यायालय ने लोक विचारण न्यायालय में पारित सहमति आदेश अपास्त करते हुए में गंभीर त्रुटि की है-उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है और दरकिनार कर दिया गया है-लोक विचारण न्यायालय द्वारा पारित सहमति आदेश को बहाल किया गया है।

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील सं. 4108।

/

2015 की रिट याचिका संख्या 35073 (जी. एम.-आर. ई. एस.) में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

मेसर्स नुली एंड नुली के लिए आनंद संजय एम. नुली, सुश्री आगम शर्मा, नंद कुमार के. बी., शिवशंकर एच. मनूर, सुश्री श्वेता एस. मनूर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

एस. एन. भट, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. पी. चतुर्वेदी, तरुण कुमार ठाकुर, सुश्री पार्वती भट, रमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।.

/

117 ए.

118

/

[2022] 12 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 2015 की रिट याचिका संख्या 35073 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने लोक अदालत में पारित सहमति आदेश को रद्द कर दिया है और परिणामस्वरूप मूल मुकदमे को बहाल कर दिया है, मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः-

/

2.1 कि इसमें अपीलार्थी-मूल वादी ने बिक्री/अनुबंध के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कुनिगल में विद्वान सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ डी. एन.) के न्यायालय में 2006 का मूल मुकदमा संख्या 94 स्थापित किया।मुकदमा मूल रूप से तीन प्रतिवादियों के खिलाफ दायर किया गया था, हालांकि, प्रतिवादियों में से एक-प्रतिवादी संख्या 3 को वादी द्वारा हटा दिया गया था।मुकदमा 18.08.2007 पर विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया।वादी और मूल प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि पक्षों ने विवाद को सुलझा लिया है और उनसे सहमति आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था।प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वादी के पक्ष में दिनांकित 26.04.2005 बेचने के समझौते के निष्पादन को स्वीकार किया और रुपये की रसीद को भी स्वीकार किया। 30, 000/- आंशिक बिक्री पर विचार के लिए। आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन में, यह विशेष रूप से कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को रुपये की शेष बिक्री विचार राशि प्राप्त हुई है। 70, 000/- वादी

से।इसलिए, यह अनुरोध किया गया था कि मुकदमे के साथ-साथ समझौता याचिका के संदर्भ में डिक्री पारित की जाए।

/

/

/

/

2.2 उक्त सहमति समझौता/समझौता विलेख/समझौता याचिका पर संबंधित पक्षों के वकीलों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।हालाँकि, अनुरोध किए जाने पर एक सहमति डिक्री पारित करने के बजाय, विद्वत विचारण न्यायालय ने मामले को लोक अदालत को भेज दिया।लोक अदालत के समक्ष, जिसकी अध्यक्षता बहुत विद्वान सिविल न्यायाधीश (सीनियर डी. एन.), कुनिगल ने की थी, वादी के अधिवक्ताओं के साथ-साथ मूल प्रतिवादी संख्या 1 और 2 उपस्थित रहे और आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन के अनुसार एक सहमति डिक्री पारित करने का अनुरोध किया। नतीजतन, 27.08.2007 दिनांकित निर्णय और डिक्री द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने सहमति डिक्री पारित की।

/

/



/

2.3 कि इसके बाद मूल वादी ने सहमति आदेश को निष्पादित करने और अपने पक्ष में बिक्री विलेख के निष्पादन की मांग करने के लिए 2013 की निष्पादन याचिका संख्या 88 दायर की। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने 2015 की रिट याचिका संख्या 35073 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें लोक अदालत द्वारा पारित सहमति आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि सहमति आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। 2.4 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च विचारण न्यायालय के विद्वान एकल ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और लोक अदालत में पारित विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित सहमति आदेश को रद्द कर दिया है।यह मुख्य रूप से इस आधार पर है कि पक्षों के बीच समझौते और तिथियों और घटनाओं को देखते हुए, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादी के वकील ने समझौते और डिक्री तैयार करने के लिए मामले को लोक-अदालत को संदर्भित करते हुए 18.8.2007 पर डिक्री प्राप्त करने में विचारण न्यायालय को गुमराह किया होगा।ऐसा मानते हुए, उच्च विचारण न्यायालय ने लोक अदालत में पारित विद्वत विचारण विचारण न्यायालय

द्वारा पारित सहमति आदेश को रद्द कर दिया है और मूल मुकदमे को फाइल में बहाल करने का निर्देश दिया है और विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने मामले को लोक अदालत में भेजने की तारीख से कार्यवाही फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है।

/

/

/

2.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

3. अपीलार्थी-मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वास्तव में वादी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने संयुक्त रूप से विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया और विद्वत विचारण विचारण न्यायालय से सहमति आदेश पारित करने का अनुरोध किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, हालांकि, सहमति आदेश पारित करने के बजाय, विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले को लोक अदालत को भेज दिया।यह तर्क दिया जाता है कि केवल इसलिए कि मामला लोक अदालत को भेजा गया था, सहमति डिक्री/सहमति समझौते की वास्तविकता और आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है।

/

3.1 अपीलार्थी-मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को रु। 70, 000/- जैसा कि आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत सहमति आवेदन/आवेदन में उल्लिखित है।

/

/



3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के साथ-साथ लोक अदालत, जिसकी अध्यक्षता बहुत विद्वान पीठासीन न्यायाधीश ने की थी, के समक्ष संबंधित

पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत  दायर आवेदन के आधार पर एक सहमति डिक्री पारित करने का अनुरोध किया और उसके बाद ही लोक अदालत में विद्वत परीक्षण विचारण न्यायालय  ने सहमति डिक्री पारित की।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय  के लिए वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार आक्षेपित  निर्णय  और आदेश पारित करते समय और लोक अदालत में पारित सहमति डिक्री अपास्त करते हुए  करते हुए और दरकिनार करते हुए, उच्च विचारण न्यायालय  ने कहा है कि पक्षों और तिथियों और घटनाओं के बीच समझौते को देखते हुए, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादी के वकील ने मामले को समझौता और डिक्री तैयार करने के लिए लोक-अदालत को भेजकर 18.8.2007 पर डिक्री प्राप्त करने में निचली अदालत को गुमराह किया होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की टिप्पणियाँ बिल्कुल भी उचित नहीं हैं।कि अन्यथा भी अवलोकन प्रकृति में प्रथम दृष्टया नहीं थे।उच्च विचारण न्यायालय  ने कहा है कि वादी के वकील ने निचली अदालत को गुमराह किया, हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के वकीलों के बारे में क्या, जिन्होंने आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत  आवेदन पर हस्ताक्षर किए और विद्वत निचली अदालत के समक्ष पेश हुए और यहां तक कि लोक अदालत के समक्ष भी पेश हुए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई आरोप और/या टिप्पणियां नहीं हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च विचारण न्यायालय  ने लोक अदालत में पारित विद्वत विचारण विचारण न्यायालय  द्वारा पारित सहमति आदेश अपास्त करते हुए  करने में गलती की है।

/

/

/

/

4. वर्तमान अपील का प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. एन. भट ने जोरदार विरोध किया है-मूल प्रतिवादी संख्या 1 और 2।प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भट द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि तारीखों और घटनाओं का कालक्रम सहमति समझौते/सहमति डिक्री की वास्तविकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।यह तर्क दिया जाता है कि सबसे पहले, वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 को हटा दिया और प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया।कि इसके तुरंत बाद आदेश XXIII नियम 3 आवेदन प्रस्तुत किया गया था।कि एक बार जब आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत  एक आवेदन था और पक्षकार सहमत हो गए और सहमति डिक्री पारित करने का अनुरोध किया, तो विद्वान विचारण न्यायालय  के लिए मामले को लोक अदालत में भेजने का कोई कारण नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, विद्वत

विचारण विचारण न्यायालय  द्वारा डिक्री पारित नहीं किया जाना और मामले को लोक अदालत को संदर्भित करना ही ए बनाता है

/

/

/

121

हेमंता कुमार बनाम आर. महादेवैया और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

गंभीर संदेह।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब प्रतिवादी संख्या 1 और 2 कथित धोखाधड़ी करते हैं, तो प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को कथित धोखाधड़ी साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

4.1 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय  ने लोक अदालत में वादी द्वारा प्राप्त सहमति आदेश अपास्त करते हुए  करने और रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है।इसलिए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

/

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और उच्च न्यायालय  द्वारा पारित आक्षेपित  निर्णय  और आदेश का अध्ययन किया है।हमने अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री का भी अध्ययन किया है।हमने तारीखों और घटनाओं पर बारीकी से विचार किया है, जिसके कारण लोक अदालत में विद्वत विचारण विचारण न्यायालय  की अध्यक्षता में सहमति आदेश पारित किया गया।

/

6. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 और उनके अधिवक्ताओं ने आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत  विद्वत विचारण विचारण न्यायालय  के समक्ष आवेदन दायर किया और एक सहमति डिक्री पारित करने का अनुरोध किया कि पक्षों ने विवादों का निपटारा कर दिया है।आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत  आवेदन दायर करना प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा विवादित नहीं है।कि इसके बाद आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत  दायर आवेदन के आधार पर सहमति डिक्री पारित करने के बजाय, जैसा कि अनुरोध किया गया था और अनुरोध किया गया था, किसी भी कारण से, विद्वान विचारण न्यायालय  ने मामले को लोक अदालत को भेज दिया।लोक अदालत के समक्ष, वादी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने सहमति आदेश पारित करने का अनुरोध किया और तदनुसार लोक

अदालत में, जिसकी अध्यक्षता बहुत ही विद्वान न्यायाधीश ने की थी, एक सहमति आदेश पारित किया गया।केवल इसलिए कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय , जिसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, ने मामले को लोक अदालत को भेज दिया था, सहमति आदेश की वास्तविकता पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है।कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कारण से, न्यायालय  में डिक्री/सहमति डिक्री पारित करने के बजाय, मामले को लोक न्यायालय  में भेजा जाता है और लोक न्यायालय  के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है और इसलिए, पक्षों द्वारा अनुरोध के अनुसार एक सहमति डिक्री पारित की जाती है।तत्काल मामले में अपनाई गई उपरोक्त प्रक्रिया सहमति आदेश की वास्तविकता पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकती है। उपरोक्त से, यह नहीं कहा जा सकता है कि धोखाधड़ी की गई थी और/या वादी की ओर से वकील ने मामले को लोक न्यायालय  में भेजने के लिए न्यायालय  को गुमराह किया था।यह मामला न्यायालय  और यहां तक कि लोक न्यायालय  को भी भेजा गया था

/

/

/

/

/



अदालत की अध्यक्षता उसी विद्वान विचारण न्यायालय  के न्यायाधीश ने की थी।इसलिए, उच्च न्यायालय  ने सहमति आदेश पर संदेह करने में एक गंभीर/गंभीर त्रुटि की है।

7. अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लोक अदालत में पारित सहमति आदेश अपास्त करते हुए ते हुए, उच्च न्यायालय  ने पैराग्राफ 6 में निम्नानुसार टिप्पणी की हैः-

/

“6. रिट याचिका पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जा सकता था कि ओ. एस. नं. 94/2006 को लोक-अदालत को भेजा गया था और 30.7.2007 पर लोक-अदालत का उल्लेख करते हुए 18.8.2007 पर आदेश जारी करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, पक्षों और तिथियों और घटनाओं के बीच समझौता प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादी के वकील ने समझौते और डिक्री तैयार करने के लिए मामले को लोक-न्यायालय  को भेजने के संदर्भ में 18.8.2007 पर डिक्री प्राप्त करने में निचली न्यायालय  को गुमराह किया होगा।

/

8. इसलिए, उच्च विचारण न्यायालय ने कहा है कि वादी के वकील ने समझौते और डिक्री तैयार करने के लिए मामले को लोक-अदालत को भेजने के संदर्भ में 18.8.2007 पर डिक्री प्राप्त करने में निचली अदालत को गुमराह किया होगा।किस आधार और/या सामग्री के आधार पर, उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है और वह भी 'प्रथम दृष्टया', हम इसकी सराहना नहीं कर सकते।हालांकि, उच्च विचारण न्यायालय ने वादी के वकील के बारे में टिप्पणी की है, हालांकि, उच्च विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि आदेश XXIII नियम 3/सहमति आवेदन के अंतर्गत आवेदन प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के वकीलों द्वारा प्रस्तुत और हस्ताक्षरित किया गया था।प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से पेश होने वाले वकील के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं। 9.यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि न तो उच्च विचारण न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी की गई है कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन जमा करने और सहमति डिक्री पारित करने का अनुरोध करने पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने आदेश XXIII नियम 3/सहमति आवेदन के अंतर्गत आवेदन जमा करने पर आपत्ति जताई थी जिसमें उसे सहमति डिक्री पारित करने का अनुरोध किया गया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन में आगे कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को रु. 70, 000/-।प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से यह मामला नहीं है कि उन्हें रुपये की शेष बिक्री पर विचार प्राप्त नहीं हुआ है। 70, 000/- जैसा कि आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के अंतर्गत सहमति आवेदन/आवेदन में उल्लिखित है।

/

/

/

/

/

123

हेमंता कुमार बनाम आर. महादेवैया और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

/

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च विचारण न्यायालय ने लोक अदालत में पारित 18.08.2007 दिनांकित सहमति आदेश अपास्त करते हुए करने में एक गंभीर/गंभीर त्रुटि की है, जिसकी अध्यक्षता बहुत ही विद्वान निचली अदालत के न्यायाधीश ने की थी।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि के साथ-साथ तथ्यों पर भी टिकाऊ नहीं है।

इन परिस्थितियों अंतर्गत , 2015 की रिट याचिका संख्या 35073 अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.11.2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।लोक अदालत में पारित विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित सहमति आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात ि है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

/

/

/

/

/